तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 329/2023 अनवान नजीर खां बनाम चैनाराम वगैराह	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए

05/12/24

आदेश

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीनी उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल श्रेणी में प्राप्त हुए है। आज बावजूद सुचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है, जिसमे प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। वकील प्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा महाबार पटवार हल्का महाबार के खेत खसरा नम्बर 2187/109 रकबा 01.19 बीघा की भूमि आई हुई है, जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि के तीन तरफ तारबन्दी की गई है तथा चौथी तरफ विप्रार्थी सं0 01 के खेत की दीवार है। कुछ रोज पूर्व विप्रार्थी सं0 01 द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलअंदाजी कर उसे परेशान किया जा रहा है तथा झूठे मुकदमें में फसाने की धमकिया दी जा रही है। अर्सा 10 दिन पूर्व विप्रार्थी सं0 01 द्वारा प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि में सूड़ करने से रोक कर बेदखल करने की धमकी देकर हमला करने पर उतारू होने पर पड़ौसियों द्वारा बीच–बचाव कर छुड़ाया गया है। यदि अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी की खातेदारी की भूमि जबरन दखलन्दाजी कर ताकत से प्रार्थी को उसकी खातेदारी की कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करने में सफल होती है तो प्रार्थी के वाद का मकसद ही समाप्त हो जावेगी। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है और सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थी संख्या 01 वादग्रस्त भूमि का मौके की स्थिति को रदोबदल करने में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, लिहाजा मौजा महाबार पटवार हल्का महाबार के खेत खसरा नम्बर 2187/109 रकबा 01.19 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 01 को वादग्रस्त भूमि में वाद के निर्णय तक हस्तक्षेप व दंखलअंदाजी नहीं करते हुए मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबन्द किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.12.23 10:31:16 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी को सुनने के पश्चात हमने पत्रावली एवं राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी के कब्जे काश्त में अप्रार्थी

05/12/24
सहायक कलक्टर (SDO)

संख्या 01 द्वारा जबरन दखलन्दाजी कर सेढों को तोड़ा जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। मौके पर कब्जे काश्त को लेकर उभय पक्षों में मध्य तनाव है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो वादों की संख्या में बढोतरी होगी। उपर्युक्त विवेचनोपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है और सुविधा का सुंतलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि यह आवेदन खारिज किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा वादों की संख्या में बढोतरी होगी। लिहाजा प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा मौके की यथास्थिति की जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक इस आशय की जारी की जाती है कि प्रार्थी की भूमि मौजा महाबार पटवार हल्का महाबार के खेत खसरा नम्बर 2187/109 रकबा 01.19 बीघा भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 किसी प्रकार का हस्तक्षेप एवं दखलअंदाजी नहीं करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें। निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

23/12/24

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.12.23 10:31:16 IST
Reason: SelfAttested